रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939
No. 11] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

सं. 01-प्रेस/2018.—भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, यह निर्देश देते हैं कि अधिसूचनाएं संख्या 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 और 85-प्रेस/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के अंतर्गत क्रमशः 24 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खंड 1 और 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित कुलाध्यक्ष पुरस्कारों के विनयमन संबंधी वर्गों और दिशा-निर्देशों में निम्नवत् संशोधन कियें जाएंगे :—

2. अधिसूचना संख्या 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 के पैरा 1 की तालिका में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार से संबंद्ध क्रमांक संख्या 1 की सभी प्रविष्टियों को हटा दिया जाए ।

3. चयन पद्धति से संबंधित पैरा 6 में, (i) से (viii) तक चयन समिति के गठन को इसके बाद निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:

(i) राष्ट्रपति के सचिव - अध्यक्ष

(ii) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय - सदस्य

(iii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य

(iv) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य

(v) निदेशक, आईआईटी-दिल्ली, - सदस्य

(vi) प्रोफेसर, आईआईएमसी, बंगलौर - सदस्य

(vii) कार्यकारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन - सदस्य

(viii) राष्ट्रपति द्वारा नामित शिक्षा, अनुसंधान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के पांच प्रख्यात व्यक्ति - सदस्य

(ix) राष्ट्रपति सचिवालय का एक अधिकारी - सदस्य सचिव

(x) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अन्य कोई विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति

4. नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार से संबंधित अधिसूचना संख्या 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 के पैरा 1 और अधिसूचना संख्या 85-प्रेस/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पैरा (i) की तालिका में क्रमांक संख्या 2 के स्थान पर 1 होगा ।

5. अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार से संबंधित अधिसूचना संख्या 85-प्रेस/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पैरा (ii) में, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) क्रमांक संख्या 3(क) अब से 2(क) होगा

(ii) क्रमांक संख्या 3(ख) और (ग) में सभी प्रविष्टियां हटा दी जाएं

6. अधिसूचना संख्या 85-प्रेस/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पैरा (ii) में कॉलम "क्रमाकं" "पुरस्कार का नाम" और "विवरण" में निम्नवत क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगीः

क्रमांक	पुरस्कार का नाम	विवरण
2 (ख).	अनुसंधान (मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	पांच लाख रुपये की कुल राशि की सीमा के साथ विजेता प्रविष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा पत्र एवं एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार; परंतु यदि किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या पांच सदस्यों से अधिक हो जाती है तो पांच लाख रुपये की नकद राशि को सदस्यों में समान रूप से वितरित किया जाएगा
3.	प्रौद्योगिकी विकास के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	- तथैव -

[फा. सं. सी III-07001/4/2017-सीए-III]

भरत लाल, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2018

No. 01-Pres/2018.—The President of India, in his capacity as Visitor of Central Universities, is pleased to direct that the following amendments shall be made in the categories and guidelines governing the Visitor's Awards published in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of October 24, 2014 and in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of April 24, 2017 under Notification Nos. 72-Pres/2014, dated October 22, 2014 and 85-Pres/2017, dated April 20, 2017, respectively:—

2. In the table in para 1 of the Notification No. 72-Pres/2014, dated October 22, 2014 all the entries at Serial No. 1 relating to Visitor's Award for the Best University be deleted.

3. In Para 6, pertaining to Method of Selection, the composition of Selection Committee from (i) to (viii) will henceforth be replaced with the following:

(i) Secretary to the President – Chairperson

(ii) Secretary, Department of Higher Education, Ministry of HRD – Member

(iii) Secretary, Department of Science & Technology – Member

(iv) Secretary, Department of Biotechnology – Member

(v) Director, IIT-Delhi – Member

(vi) Professor, IISc.-Bangalore – Member

(vii) Executive Vice Chairman, National Innovation Foundation – Member

(viii) Five persons of eminence in the field of academics, research and other relevant fields to be nominated by the President – Member(s)

(ix) An Officer from the President's Secretariat – Member Secretary

(x) Any other Special Invitee(s) as decided by Chairperson

4. In the table in para 1 of the Notification No. 72-Pres/2014, dated October 22, 2014 and para (i) of the Notification No. 85-Pres/2017, dated April 20, 2017 relating to Visitor's Award for Innovation, the serial number shall become 1 instead of 2.

5. In the para (ii) of the Notification No. 85-Pres/2017, dated April 20, 2017 relating to Visitor's Award for Research, following amendments are made:

(i) The serial number 3(A) will henceforth be 2(A)

(ii) All the entries at serial numbers 3(B) and (C) be deleted

6. In the para (ii) of the Notification No. 85-Pres/2017 dated April 20, 2017 the following serial numbers and entries under the columns "Sl. No.", "Title of the Award" and "Details" shall be inserted:

Sl. No.	Title of the Award	Details
2(B).	Visitor's Award for Research (Basic and Applied Sciences)	Citation and Cash reward of Rupees One Lakh to each individual of the winning entry subject to a limitation of total amount of Rupees Five Lakh; however, if the number of individuals in a group exceeds five members, the Cash reward of Rupees Five Lakh will be equally distributed amongst the members of the group
3.	Visitor's Award for Technology Development	-do-

[F. No. CIII-07001/4/2017-CA-III]

BHARAT LAL, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.05 19:20:38 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.